

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही
2. श्री भीमाराम पुत्र श्री सबलाजी जाति रबारी निवासी- वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही

पंचायत निगरानी संख्या: 81/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 01 दिसम्बर, 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.9.2016 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 22055 दिनांक 20.09.2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरौही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरौही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

(3) प्रकरण में दिनांक 16.11.2021 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरौही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित करते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 का ग्राम वाटेरा में पूर्व से ही

.....पेज दो पर



a
ज.सि. जिला कलक्टर
सिरौही (राज.)



था, जिसके पात्रता की जांच कर नियमानुसार भूखण्ड आवंटित कर पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अर्न्तगत वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों को 300 वर्गगज तक की भूमि निःशुल्क/रियायती दर आवंटित किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या-2 भी उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी का गरीब व भूमिहीन व्यक्ति है जिसके पास प्रश्नगत पट्टे के अलावा अन्य कोई आवासीय भूमि/मकान नहीं है। अप्रार्थी संख्या-2 पशुपालन कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट अर्थात् 150 वर्गगज से कम आबादी भूखण्ड आवंटन का पट्टा जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा आबादी में आवंटित उक्त आवासीय भूखण्डों का कुछ व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिये जाने के संबंध में एक शिकायत हुई, जिसकी जांच अधिकारी द्वारा कुल 24 व्यक्तियों के सामूहिक बयान लिये जाकर पट्टों को गलत जारी होना बताया है। जांच रिपोर्ट में जन प्रतिनिधि वार्ड पंचों के रिश्तेदारों को पट्टे देना बताया है जिसमें वार्ड पंच से रिश्ता वार्ड पंच के बेटे के साले की पत्नी, वार्ड पंच के काका की पत्नी आदि रिश्ता बताया गया है। वार्ड पंच के रिश्तेदार होने से किसी व्यक्ति की पट्टा प्राप्त करने की पात्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टे देने थे, लेकिन उन्हें नियम 158 में पट्टे जारी करना बताया है। पुश्तैनी/पुराने आवासीय मकान का पट्टा नियम 157 में दिये जाने का प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति को जो उक्त नियम 157 के तहत पट्टे देने थे और नियम 158 के तहत पट्टा जारी कर दिया है तो इससे प्रश्नगत पट्टे की भूमि के स्वामित्व व मालिकाना हक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जांच कमेटी ने गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर यह गलत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या-2 प्रश्नगत भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्र है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि यदि फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता या त्रुटि हुई है तो उसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या-2 को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का था जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 का कोई नियंत्रण नहीं था। कानून की स्थिति यह है कि 100 दोषी व्यक्ति छुट जाये, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिये। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारूप में नहीं होकर विभागीय पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के संबंध में निगरानी आवेदन में प्रार्थी ने स्वयं का सत्यापन प्रमाण अंकित नहीं किया है तथा न ही निगरानी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में जो प्रस्ताव पारित किया है उसको प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने कभी भी चुनौती नहीं दी है एवं इस प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते उक्त निगरानी आवेदन कानून परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2021(1)DNJ(Raj.) Page 186-188 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख का उप पंजीयक कार्यालय, भावरी से पंजीयन भी करवाया है,पेज चार पर

इस प्रकार पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.09.2016 के प्रस्ताव संख्या- 2 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा विलेख संख्या 22055 दिनांक 20.09.2016 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नहीं किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी संख्या-2 को कौन से खसरा संख्या नंबर में किस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा
.....लगातार पेज पांच पर.



अ
श्री. जिला न्यायालय
जयपुर (राज.)

ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पंचायत बैठक में निर्णय लेते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने आवास बने हुये हैं, जिन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत विक्रय विलेख जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.9.2016 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 22055 दिनांक 20.9.2016 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर. खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही